रजिस्ट्री सं. डी.एल.–33002/99 भारत सरकार REGISTERED No. D.L.-33002/99

GOVERNMENT OF INDIA

दिल्ली राजपत्र

Delhi Gazette

असाधारण

EXTRAORDINARY

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 170] दिल्ली, सोमवार, दिसम्बर 14, 2015/अग्रहायण 23, 1937 [रा.रा.रा.क्षे.दि. सं. 164

No. 170] DELHI, MONDAY, DECEMBER 14, 2015/AGRAHAYANA 23, 1937 [N.C.T.D. No. 164

भाग—IV

PART—IV

राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र दिल्ली सरकार

GOVERNMENT OF THE NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHI

विकास विभाग

(कृषि विपणन निदेशालय)

अधिसूचना

दिल्ली, 10 दिसम्बर, 2015

सं. फा. 8/23/2001/डीएएम/एमआर/खण्ड–3/3096.–राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार के उपराज्यपाल, दिल्ली कृषि उपज विपणन (विनियमन) अधिनियम, 1998 (दिल्ली अधिनियम संख्या 7, 1999) की धारा 5 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए व अधिसूचना दिनांक 28 मई, 2007 का अधिक्रमण करते हुऐ, सिवाय उन कार्यों के जो इस अधिक्रमण से पहले ही किए या नही किए जा चुके हैं, एतद्द्वारा दिल्ली कृषि विपणन परिषद का तुरन्त प्रभाव से पुनर्गठन करते हैं जिसमें निम्नलिखित व्यक्ति होंगे, अर्थात:–

क.	श्री गोपाल राय, माननीय विकास मंत्री	:	अध्यक्ष
ख.	निम्नलिखित सात सरकारी सदस्य होंगे:–		
(i)	निदेशक, कृषि विपणन दिल्ली, एक्स–ऑफिसियो उपाध्यक्ष परिषद्	:	सदस्य
(ii)	एक प्रतिनिधि सरकार के विकास विभाग कृषि विंग से	:	सदस्य
(iii)	एक प्रतिनिधि सहकारिता से	:	सदस्य
(iv)	एक प्रतिनिधि सरकार के खाद्य, सम्भरण एवं उपभोक्त मामलों से जो कि उपायुक्त से कम न हो	:	सदस्य
(v)	एक प्रतिनिधि दिल्ली विकास प्राधिकरण से जो कि योजना विंग सें हो	:	सदस्य
(vi)	एक प्रतिनिधि उत्तरी दिल्ली नगर निगम से जो कि योजना विंग से हो	:	सदस्य
(vii)	भारत सरकार के कृषि विपणन सलाहकार या उनका प्रतिनिधि।	:	सदस्य

C.	The non-official members shall be as under:-			
(i)	Two agriculturists being members of the market committees	To be nominated later.	:	Member
(ii)	Two members representing the organizations of agriculturists	1. Sh. Zafar Alam, 181, Gali No.1, Kardampuri Extn., Delhi- 94	:	Member
		2. Sh. Ajay Singh Bhadwal, DA-620, Shishmahal Appt., Shalimar Bagh, Delhi-110088.	:	Member
(iii)	One member to be elected in the prescribed manner from the traders and commission agents licensed under section 80	Sh. Rajinder Kumar Sharma BE-58, Shalimar Bagh, Delhi.	:	Member
(iv)	One member representing the Co-operative Societies which are marketing in agricultural produce	Sh. Ram Baran, 64-B, BC-Block, East Shalimar Bagh, Delhi.	:	Member
(v)	Two members representing the interests of consumers, of whom one shall be a member of the Legislative Assembly of Delhi	1. Sh. Adeel Ahmad Khan, 2/9A, II Floor, Jangpura-A, Delhi.	:	Member
		2. Sh. Ajesh Yadav, MLA 45, Libaspur, Delhi-110042.	:	Member

The Lt. Governor of the National Capital Territory of Delhi further directs that the non-official members shall hold office for five years as provided under section 7 of the said Act, except Sh. Rajinder Kumar Sharma, who was nominated vide notification No. F.8 (43)/2010-DAM/MR/8994 dated the 2nd June, 2011 and whose five years term will come to an end on 1st June, 2016.

The Chairman, the Vice-Chairman and the official members shall hold office during the pleasure of the Government.

By Order and in the Name of the Lt. Governor
of the National Capital Territory of Delhi,

V. P. RAO, Spl. Secy. (Development)

शिक्षा निदेशालय

अधिसूचना

दिल्ली, 10 दिसम्बर, 2015

सं.फा.डी.ई.89/ईवीजीसीबी/14/1618.— गृह मंत्रालय, भारत सरकार की दिनांक 13 जुलाई, 1959 की अधिसूचना सं. फा. 27/59—एचआईएम (I) के साथ पठित संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए तथा दिनांक 25 मार्च, 1980 की अधिसूचना संख्या फा. 2(33)/78—एस—II द्वारा अधिसूचित शैक्षणिक एवं व्यवसायिक मार्गदर्शन परामर्शदाता के पद हेतु भर्ती नियमों के अधिक्रमण में, ऐसे अधिक्रमण से पूर्व की गई या की जाने वाली बातों को छोड़कर, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल, संघ लोक सेवा आयोग से पूर्व परामर्श के पश्चात् शिक्षा निदेशालय, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार में **शैक्षणिक एवं व्यवसायिक मार्गदर्शन परामर्शदाता** के पद के लिये निम्नलिखित भर्ती नियम बनाते हैं, अर्थात् :—

1. **संक्षिप्त शीर्षक एवं प्रारंभ.**—(1) इन नियमों को **शैक्षणिक एवं व्यवसायिक मार्गदर्शन परामर्शदाता** भर्ती नियमावली, 2015 कहा जाएगा ।

(2) ये दिल्ली राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख से लागू होंगे।

2. **पदों की संख्या, वर्गीकरण तथा पे बैंड एवं ग्रेड पे/वेतनमान.**—उक्त पद की संख्या, इनका वर्गीकरण तथा पे बैंड एवं ग्रेड पे/वेतनमान इन विनियमों के साथ संलग्न अनुसूची के कॉलम (2) से (4) में यथाविनिर्दिष्ट होंगे।

3. **भर्ती पद्धति, आयु सीमा तथा योग्यताएं आदि.**—उक्त पद की भर्ती पद्धति, आयु सीमा, योग्यताएं एवं इससे संबंधित अन्य मामले उक्त अनुसूची के कॉलम (5) से (13) में यथाविनिर्दिष्ट होंगे।

4. **अयोग्यता.**—ऐसा कोई भी व्यक्ति

(क) जो किसी व्यक्ति के जीवित पति/पत्नी के होते हुए विवाह करता है या विवाह का अनुबंध करता है, या

(ख) जो एक जीवित पति/पत्नी के होते हुए किसी व्यक्ति से विवाह कर चुका है या विवाह अनुबंध कर चुका है,

वह उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा :

शर्त यह है कि यदि सरकार संतुष्ट है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति एवं विवाह के अन्य पक्षकार पर लागू व्यक्तिगत कानून के अंतर्गत अनुमत है और इस बात से संतुष्ट हो जाने पर कि ऐसा करने के लिये विशेष आधार है/हैं किसी भी ऐसे उम्मीदवार को इस नियम के प्रवर्तन की छूट दे सकेगा।

5. **शिथिल करने की शक्ति** :—जहां सरकार का यह मत हो कि ऐसा करना आवश्यक अथवा समीचीन है, तो आदेश द्वारा तथा कारणों को अभिलेखबद्ध करते हुए संघ लोक सेवा आयोग के परामर्श से व्यक्तियों की किसी श्रेणी या वर्ग के संबंध में इन नियमों के उपबंधों में से किसी को भी शिथिल कर सकेंगे।

6. **बचावः**— इन नियमों की किसी भी बात का सरकार द्वारा इस संबंध में समय–समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों और अन्य विशेष वर्गों के व्यक्तियों के लिये उपबन्धित किये जाने के लिये आरक्षण अपेक्षित आयु सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा।

अनुसूची

1.	पदनाम	:	शैक्षणिक एवं व्यवसायिक मार्गदर्शन परामर्शदाता
2.	पदों की संख्या	:	137 * (2015) * इसमें परिवर्तन कार्यभार पर निर्भर है।
3.	वर्गीकरण	:	सामान्य केन्द्रीय सेवा श्रेणी 'ख' अराजपत्रित, अलिपिकीय
4.	वेतन समूह एवं ग्रेड पे/वेतनमान	:	पे बैण्ड – 2, 9300–34800/– रुपये+ग्रेड पे – 4800/–रुपये
5.	क्या चयन पद है अथवा गैर चयन पद है	:	लागू नहीं
6.	सीधी भर्ती वाले उम्मीदवारों के लिए आयु सीमा	:	30 वर्ष से अधिक नहीं (केन्द्रीय सरकार द्वारा जारी आदेशों या अनुदेशों के अनुसार सरकारी कर्मचारियों के लिये 5 वर्ष तक शिथिलनीय) **नोटः**—आयु सीमा निर्धारित करने के लिए मान्य तारीख वही होगी, जो भारत में रह रहे उम्मीदवारों के आवेदन पत्र प्राप्त करने की अंतिम तिथि हो, तथा यह असम, मेघालय, अरूणाचल प्रदेश, मिज़ोरम, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम, जम्मू व कश्मीर राज्य की लद्दाख सब डिवीज़न, हिमाचल प्रदेश का लाहौल व स्पीति जिला तथा चंबा जिले की पांगी सब डिवीज़न व अण्डमान निकोबार द्वीप समूह, लक्षदीप के उम्मीदवारों के लिए निर्धारित अंतिम तारीख नहीं है।
7.	सीधी भर्ती वाले उम्मीदवारों से अपेक्षित शैक्षिक तथा अन्य योग्यताएं	:	**अनिवार्यः**— (i) किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय अथवा संस्थान से मनोविज्ञान में मास्टर डिग्री (ii) किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय अथवा संस्थान से मार्गदर्शन एवं परामर्श में डिप्लोमा **वांछनीयः**— केन्द्र या राज्य या संघ राज्य सरकार/संस्थान/सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम में मार्गदर्शन एवं परामर्श में एक वर्ष का अनुभव **टीप–1:** अन्यथा सुयोग्य उम्मीदवारों के मामले में लिखित में कारणों को अभिलेखबद्ध करते हुए योग्यताएं सक्षम प्राधिकार के विवेक पर शिथिलनीय है। **टीप–2:** यदि चयन की किसी अवस्था में सक्षम प्राधिकार के अभिमत से अनुसूचित जाति/जनजातियों के लिए आरक्षित रिक्त पदों को भरने के लिए अपेक्षित अनुभव रखने वाले इन जातियों के उम्मीदवारों के पर्याप्त संख्या में मिलने की संभावना नहीं है, तो कारणों को अभिलेखबद्ध करते हुए अनुभव संबंधी योग्यताएं सक्षम प्राधिकार के विवेक पर शिथिलनीय है।

8.	क्या सीधी भर्ती वाले उम्मीदवारों के लिए निर्धारित शैक्षिक योग्यता एवं आयु सीमा पदोन्नति वाले उम्मीदवारों पर भी लागू होगी।	:	लागू नहीं
9.	परीवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो	:	सीधी भर्ती वालों के लिये दो वर्ष
10.	भर्ती की पद्धति : सीधी भर्ती द्वारा या पदोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति या विलयन द्वारा विभिन्न पद्धतियों से भरे जाने वाले रिक्त पदों का प्रतिशत	:	सीधी भर्ती द्वारा **टीपः** पदधारी की प्रतिनियुक्ति पर या लम्बी बीमारी के कारण या अध्ययन अवकाश या अन्य परिस्थितियों के कारण एक वर्ष या अधिक लम्बी अवधि के लिये कार्य से अलग रहने के कारण हुई रिक्तियों को प्रतिनियुक्ति के आधार पर केन्द्र सरकार के तथा कॉलम सात के अन्तर्गत सीधी भर्ती के लिये विनिर्धारित शैक्षिक योग्यता और अनुभव रखने वाले अधिकारियों में से भरा जा सकता है।
11.	यदि पदोन्नति/प्रतिनियुक्ति/विलयन द्वारा भर्ती होनी हो तो ग्रेड जिनसे पदोन्नति/प्रतिनियुक्ति/विलयन किया जाना है	:	लागू नहीं
12.	यदि कोई विभागीय पदोन्नति समिति हो तो इसकी संरचना क्या है?	:	'ख' वर्गीय विभागीय स्थायीकरण समिति 1. सचिव (शिक्षा), राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार –अध्यक्ष 2. निदेशक (शिक्षा), राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार –सदस्य 3. अपर सचिव (योजना) –सदस्य
13.	वे परिस्थितियाँ जिनमें भर्ती के लिए संघ लोक सेवा आयोग का परामर्श लिया जाना है।	:	संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श आवश्यक नहीं है ।

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल
के आदेश से और उनके नाम पर
मनविन्दर सिंह, सहायक निदेशक शिक्षा (ई–2)

DIRECTORATE OF EDUCATION

NOTIFICATION

Delhi, the 10th December, 2015

F.DE 89/EVGCB/14/1618.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution read with the Government of India, Ministry of Home Affair's Notification No. F.27/59-Him (I) dated the 13th July, 1959 and in supersession of recruitment rules for the post of Educational and Vocational Guidance Counsellor notified vide notification No. F. 2 (33)/78-S. II dated the 25th March, 1980 except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the Lt. Governor of the National Capital Territory of Delhi after prior consultation with the Union Public Service Commission, is pleased to make following recruitment rules for the post of Educational and Vocational Guidance Counsellor in the Directorate of Education, Government of National Capital Territory of Delhi, namely:-

1. **Short title and commencement.**—(i) These rules may be called Educational and Vocational Guidance Counsellor Recruitment Rules, 2015.

(ii) They shall come into force on the date of their publication in the Delhi Gazette.

2. **Number of posts, classification and pay band and grade pay/scale of pay.**—The number of the said posts, their classification and pay band and grade pay/ scale of pay attached thereto shall be as specified in columns 2 to 4 of the Schedule annexed to these rules.

3. **Method of recruitment, age-limit, qualification etc.**—The method of recruitment to the said posts, age limit, qualification and other matter connected therewith, shall be as specified in columns 5 to 13 of the said Schedule.

4. **Disqualifications**-No person —

(a) Who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living, or

(b) Who having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with a person,

shall be eligible for appointment to the said posts:

5221DG/15-2

Provided that the Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

5. **Power to relax.**—Where the Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may by order and for reasons to be recorded in writing, relax in consultation with Union Public Service Commission for any of the provisions of these rules with respect in any class or category of persons.

6. **Saving.**—Nothing in these rules shall effect reservations, relaxation of age-limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, and other special categories of persons in accordance with the order issued by the Government from time to time in this regard.

SCHEDULE

Name of the Post	Number of Posts	Classification	Pay Band and Grade Pay/Pay Scale	Whether Selection or Non-Selection Post
1	2	3	4	5
Educational and Vocational Guidance Counsellor.	137 * (2015) *Subject to variation dependent on workload.	General Central Service, Group 'B' Non- Gazetted, Non-Ministerial.	PB-2, Rs. 9300-34800/- Plus Grade Pay Rs. 4800/-	Not applicable

Age Limit For Direct Recruits.	Educational and other Qualification required for Direct Recruits.	Whether age and educationalqualification prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees.	Period of probation, if any.
6	7	8	9
Not Exceeding 30 Years. (relaxable for government servants up to five years in accordance with the instructions or orders issued by the Central Government). **Note:** The crucial date for determining the age-limit shall be the closing date for receipt of applications from Candidates in India, (and not the closing date prescribed for those in Assam, Meghalaya, Arunachal Pradesh, Mizoram, Manipur, Nagaland, Tripura, Sikkim, Ladakh Division of J & K State, Lahaul & Spiti District and Pangi Sub Division of Chamba District of Himachal Pradesh, Andaman & Nicobar Islands or Lakshadweep).	**Essential** (I) Masters degree in Psychology from a recognized university or institution with (II) Diploma in guidance and counselling from a recognised university or Institution. **Desirable** One Year Experience in Guidance and Counselling in a Central or State or UT Government Institution/Public Sector Undertaking. **Note 1**: Qualifications are relaxable at the discretion of the Competent Authority for reasons to be recorded in writing in case of candidates otherwise well qualified. **Note 2**: The Qualification regarding Experience is relaxable at the discretion of the Competent Authority, for reasons to be recorded in writing, In case of Candidates belonging to Scheduled Castes or Scheduled Tribes, if at Any stage of selection the Competent Authority is of the opinion that sufficient number of candidates from these communities possessing the requisite experience are not likely to be available to fill up the posts Reserved for them.	Not applicable.	Two years for direct recruits.

Method of recruitment: whether by direct recruitment or by Promotion or by deputation/absorption and percentage of the vacancies to be filled by various methods	In case of recruitment by promotion/deputation/ absorption, grades from which promotion/ deputation/absorption to be made.	If a Departmental Promotion Committee Exists, what is its composition.	Circumstances in which Union Public Service Commission to be consulted in making recruitment.
10	11	12	13
By Direct Recruitment. Note : Vacancies caused by the incumbent being away on deputation or long illness or study leave or under other circumstances for a duration of one year or more may be filled on deputation basis from officers of Central Government and possessing educataional qualification and experience prescribed for direct recruits under column 7.	Not Applicable.	Group 'B' Departmental Confirmation Committee Consisting of: 1. Secretary (Education), Govt. of National Capital Territory of Delhi - **Chairman** 2. Director Of Education, Govt. of National Capital Territory of Delhi - **Member** 3. Additional Secretary (Planning), Govt. of National Capital Territory of Delhi. - **Member**	Consultation with Union Public Service Commission is not necessary.

By Order and in the Name of Lt. Governor of
National Captial Territory of Delhi,

MANVINDER SINGH, Asstt. Director of Education (E-II)

कार्यालय आबकारी आयुक्त

अधिसूचना

दिल्ली, 10 दिसम्बर, 2015

सं.फा.10(56)/96–97/आई.एम.एफ.एल./आब./4895–4909.–दिल्ली आबकारी नियमावली, 2010 के नियम–52 के उपबंधों के अनुसरण में राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में सिख गुरू श्री तेगबहादुर का शहीदी दिवस होने के कारण निम्नलिखित तारीख को शुष्क दिवस के रूप में घोषित किया जाता है जो कि सभी एल–1, एल–1एफ, एल–2, एल–3, एल–4, एल–5, एल–6, एल–6एफ.जी., एल–6एफ.ई., एल–7, एल–7 एफ.जी., एल–7एफ.ई, एल–8, एल–9, एल–9ए., एल–10, एल–11, एल–12, एल–12एफ, एल–14, एल–18, एल–23, एल–23एफ, एल–25, एल–26, एल–31, एल–32, एल–33, एल–34, एल–35 लाइसेंसधारको और अफीम की दुकानों पर लागू होगा।

1. दिनांक 16.12.2015 (बुधवार) पूर्ण दिवस

उपरोक्त दिन इस प्रशासन की दिनांक 10.12.2014 की अधिसूचना संख्या सं. फा. 10(56)/96–97/आई.एम.एफ.एल./आब./1507–21 के अनुसार घोषित शुष्क दिवसों के अतिरिक्त शुष्क दिवस होगा।

संजय कुमार, आबकारी आयुक्त

OFFICE OF THE COMMISSIONER OF EXCISE

NOTIFICATION

Delhi, the 10th December, 2015

No.F 10(56)/96-97/IMFL/Ex/4895-4909.—In pursuance of the provision of Rule 52 of Delhi Excise Rules, 2010, it is hereby ordered that the following date/day shall be observed as "Dry Day" on account of **Martyrdom day of Sikh Guru Sri Guru Tegh Bahadur** by L-1, L-1F, L-2, L-3, L-4, L-5, L-6, L-6FG, L-6FE, L-7, L-7FG, L-7FE, L-8, L-9, L-9A, L-10, L-11, L-12, L-12F, L-14, L-18, L-23, L-23F, L-25, L-26, L-31, L-32, L-33, L-34, L-35 licensees and opium vends located in Delhi.

1. On 16.12.2015 (Wednesday) for whole day.